प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,** उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड ई./2019–20/16/2960-2 दिनांकः 02-07-19

विषयः–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की दिनांक 26.06.2019 को अपराहन 02:30 बजे से 04:00 बजे तक वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 26 जून 2019 को प्रदेश के समस्त मण्डलों के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में मिशन निदेशक, अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सांची, निदेशक–वी0बी0डी0, निदेशक, चिकित्सा उपचार, वरिष्ठ सलाहकार, सिफ्सा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मण्डल/जनपद स्तर से समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका–जिला स्तरीय चिकित्सालय, जनपद स्तरीय अधिकारी एवं प्रबंधकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त के क्रम में समीक्षा बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या प्रमुख सचिव, महानिदेशालय एवं मिशन निदेशक कार्यालय को 10 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीया,

(थमीम अंसरिया ए)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड ई./2019–20/16/ तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सांची, उत्तर प्रदेश।
8. वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
10. वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक एवं उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू.,एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनामिका मिश्रा)
महाप्रबंधक, एम0 एण्ड ई0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,** उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्ड ई. / 2019–20 / 16 / दिनांकः 02-07-19

विषयः–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की दिनांक 26.06.2019 को अपराहन 02:30 बजे से 04:00 बजे तक वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 26 जून 2019 को प्रदेश के समस्त मण्डलों के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में मिशन निदेशक, अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सांची, निदेशक–वी0बी0डी0, निदेशक, चिकित्सा उपचार, वरिष्ठ सलाहकार, सिफ्सा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मण्डल / जनपद स्तर से समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका–जिला स्तरीय चिकित्सालय, जनपद स्तरीय अधिकारी एवं प्रबंधकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त के क्रम में समीक्षा बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या प्रमुख सचिव, महानिदेशालय एवं मिशन निदेशक कार्यालय को 10 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीया,

(थमीम अंसरिया ए)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्ड ई. / 2019–20 / 16 / 2960-2(11) तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सांची, उत्तर प्रदेश।
8. वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला पुरूष / महिला / संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
10. वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक एवं उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू.,एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनामिका मिश्रा)
महाप्रबंधक, एम0 एण्ड ई0

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनॉक 26 जून 2019 का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 26 जून 2019 को प्रदेश के समस्त मण्डलों के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में मिशन निदेशक, अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सांची, निदेशक–वी0बी0डी0, निदेशक, चिकित्सा उपचार, वरिष्ठ सलाहकार, सिफ्सा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मण्डल/जनपद स्तर से समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका–जिला स्तरीय चिकित्सालय, जनपद स्तरीय अधिकारी एवं प्रबंधकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग का प्रारम्भ मिशन निदेशक द्वारा किया गया। बैठक के दौरान दिये गये निर्देश निम्नवत हैं–

विश्व जनसंख्या दिवस (दिनांक 11 जुलाई 2019) से सम्बन्धित निर्देश–

1. सामुदायिक सहभागिता एवं जन जागरुकता सम्बन्धी गतिविधियों का आयोजन एवं अनुश्रवण जिला नोडल अधिकारी–प0क0 के मार्गदर्शन में ब्लॉक स्तरीय प्रभारी चिकित्साधिकारियों/अधीक्षकों द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।
2. नोडल अधिकारी परिवार कल्याण द्वारा डी0सी0पी0एम0 व बी0सी0पी0एम0 के माध्यम से समुदाय स्तर पर तैनात आशाओं की दैनिक डायरी को अद्युनान्त कराते हुये सामुदायिक आवश्यकता आंकलन (CNAA) के सम्बंध में भारत सरकार के स्तर से उपलब्ध कराये गये संलग्नित प्रारूप पर अपेक्षित सूचनायें संकलित करते हुए रिपोर्ट राज्य स्तर पर दिनांक 03 जुलाई 2019 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. जनसंख्या स्थिरीकरण को प्राप्त किये जाने के संबंध में अन्तर्विभागीय समन्वयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 11 जुलाई 2019 से पूर्व बैठक का आयोजन कर संबंधित क्षेत्रों के अनुसार विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें एवं संबधित विभागों से कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग प्राप्त करें। जनपदों में कार्य कर रही गैर सरकारी संस्थाओं का समुचित सहयोग प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त स्वास्थ्य इकाईयों पर दीवार लेखन कराना सुनिश्चित करें जिसमें परिवार नियोजन का लोगो एवं परिवार नियोजन अभियान के नवीन संदेश प्रसारित किये जायें। पखवाड़े के दौरान सम्पादित की जाने वाली परिवार नियोजन सम्बन्धित गतिविधियों के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
5. मीडिया तथा अन्य समस्त प्रचार–प्रसार विधियों के माध्यम से विवाह की उम्र बढ़ाने, बच्चों के जन्म में अन्तर रखने, प्रसव पश्चात परिवार नियोजन सेवायें, परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी, गर्भसमापन पश्चात परिवार नियोजन सेवायें, स्थाई एवं अस्थाई विधियों/सेवाओं एवं प्रदान की जा रही सेवाओं की सेवा केन्द्रों पर उपलब्धता के सन्दर्भ में जनजागरुकता को बढ़ाया जाये।
6. ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों पर समुचित सर्जन अथवा सेवाप्रदाता की अनुपलब्धता की स्थिति में निकटवर्ती ब्लॉक या जनपदों से सर्जन की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
7. सर्जन की कमी होने की स्थिति में दो या दो से अधिक ब्लॉकों को सम्मिलित करते हुए दिवसवार सेवाएं प्रदान किये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वित करायें अथवा निजी क्षेत्र के सूचीबद्ध

चिकित्सकों/सेवाप्रदाताओं से भी जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर पखवाड़े के दौरान सेवाएं लेना सुनिश्चित करें।

8. जनपर स्तर पर प्री रजिस्ट्रेशन कार्ड/स्लिप का मुद्रण सुनिश्चित कराते हुये जनपद की समस्त स्वास्थ्य इकाईयों की आशा को 5 एवं ए0एन0एम0 को 15 स्लिप उपलब्ध कराते हुये आशा एवं ए0एन0एम0 द्वारा पात्र दम्पत्ति की यथोचित काउंसलिंग करते हुये परिवार नियोजन के साधन अपनाने हेतु प्रेरित किया जाए एवं इच्छुक/पात्र लाभार्भियों को प्री रजिस्ट्रेशन कार्ड/स्लिप उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. नवीन गर्भनिरोधक (अंतरा एवं छाया) की उपलब्धता एवं सेवाप्रदायगी उपकेन्द्र स्तर तक की चिकित्सा इकाईयों, जहॉ पर प्रशिक्षित सेवाप्रदाता उपलब्ध हैं, वहॉ सेवायें प्रदान कराना सुनिश्चित करें।
10. जनपदों में चिन्हित 05 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर अन्तरा एवं छाया की सेवाएं प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।
11. जनपद मे कार्यरत गैर सरकारी संस्थाएं ,निजी संस्थायों व हौसला साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकृत निजी इकाइयॉ अपने स्वयं के चिकित्सालयों/सम्बद्व चिकित्सालयों अथवा राजकीय चिकित्सालयो में परिवार कल्याण संबंधी सेवाएं, प्रसव अथवा गर्भपात पश्चात नसबंदी सेवाएं उक्त पखवाड़े के दौरान प्रदान किए जाने में सहयोग प्रदान करेंगे।
12. समस्त जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त स्वास्थ्य इकाईयों में गर्भनिरोधक साधनों व सामग्रियों हेतु एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल का समुचित क्रियान्यवयन करते हुये सामग्रियों का प्रबंधन यथा आपूर्ति एव वितरण पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
13. **QPR-** प्रथम तिमाही अप्रैल–जून 2019 तक परिवार कल्याण कार्यक्रम, सुरक्षित गर्भात सेवा, मिशन परिवार विकास तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट का अनुपालन का त्रैमासिक रिपोर्ट नवीन प्रारुप पर दिनांक 05.07.2019 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान (दिनांक 01 जुलाई, 2019 से 31 जुलाई, 2019) –

14. प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 01 जुलाई से 31 जुलाई 2019 तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दिनांक 01 जुलाई से 15 जुलाई 2019 तक जनपद बाराबंकी एवं गोरखपुर, बस्ती, लखनऊ एवं देवीपाटन मण्डल के समस्त जनपदों में दस्तक अभियान के संचालन हेतु शासन एवं महानिदेशालय स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देशानुसार समस्त आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
15. दिशा–निर्देशानुसार अभियान के अन्तर्गत ससमय अन्तर्विभागीय बैठक करना सुनिश्चित करें, विभिन्न स्तर के प्रशिक्षण 28 जून 2019 तक पूर्ण कर लें। माइक्रोप्लान तैयार कर डब्ल्यू0एच0ओ0 को दिनांक 26 जून 2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
16. विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान के शुभारम्भ कार्यक्रम में समस्त अन्तर्विभागीय गतिविधियों को सम्मिलित किया जाये। जनपद के प्रभारी मंत्री के माध्यम से अभियान का शुभारम्भ करवाना सुनिश्चित करें, इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त प्रभारी मंत्रियों को एक पत्र भी प्रेषित कर दिया गया है।
17. दिनांक 01 से 31 जुलाई तक पूर्व प्रेषित निर्देशों के क्रम में प्रत्येक जिला चिकित्सालय एवं अन्य उपचार केन्द्रों तथा जनपद मुख्यालय पर लगे टेलीविजन पर राज्य मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये वीडियो का प्रदर्शन अनिवार्य रुप से कराना सुनिश्चित करें। जिन जनपदों ने अब तक राज्य मुख्यालय से पेन ड्राईव नहीं प्राप्त की है वे शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

18. दस्तक अभियान के अन्तर्गत गोरखपुर, देवरिया, बस्ती को 03 एल0ई0डी0 वैन, महराजगंज, सन्तकबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर को 02 वैंन व लखनऊ, देवीपाटन मण्डल के जनपदों व बारांबकी को 01–01 एल0ई0डी0 वैंन सिफसा प्रबन्धन से उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त जनपदों के सी0एम0ओ0 वैंन हेतु आई0ई0सी0 मैटेरियल व एण्डवास टूर प्लान उपलब्ध कराये।
19. विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान की समाप्ति पर जनपद स्तर से समस्त अन्तर्विभागीय गतिविधियों की क्रमिक रिपोर्ट एवं मण्डलीय अपर निदेशक स्तर से मॉनीटरिंग प्रपत्र पर रिपोर्ट दिनांक 05.08.2019 तक प्रत्येक दशा में राज्य मुख्यालय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
20. अभियान के अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधियों के विषय में मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी को पूर्ण जानकारी न होने पर प्रमुख सचिव द्वारा घोर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अभियान को दिशा–निर्देशों के अनुसार संचालित किये जाने के निर्देश दिये गये। जनपद कौशाम्बी में अभियान के अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधियों की विशेष अनुश्रवण के निर्देश दिये गये।
21. मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा अभियान के अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधियों के विषय में अवगत कराया। जिसमें अवगत कराया गया कि जनपद गोरखपुर में 01 जुलाई 2019 को अभियान का शुभारम्भ माननीय प्रभारी मंत्री/माननीय सांसद के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित हुआ है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग द्वारा रैली निकाली जायेगी तथा विद्यालयों में प्रार्थना सभा के दौरान वेक्टर जनित रोगों से बचाव के उपायों को बताये जाने की योजना है।
22. निर्देशित किया गया कि अभियान के शुभारम्भ में विभिन्न विभागों यथा बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, समेकित बाल विकास परियोजना, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, नगर विकास, जल–कल और समाज कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये गतिविधियों को आयोजित किया जाये जिसमें स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करे। अभियान के विषय में कोई भी शंका होने पर निदेशक, वी0बी0डी0, संयुक्त निदेशक, वी0बी0डी0 अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर से वार्ता करने के निर्देश दिये गये।
23. अभियान के दौरान प्रत्येक शनिवार को समीक्षा करना सुनिश्चित करें। समस्त मण्डलीय अपर निदेशक अपने कार्यालय के संयुक्त निदेशकों को जनपद आवंटित करके अभियान का अनुश्रवण सुनिश्चित करायें। मण्डल स्तर पर अभियान की रिपोर्ट संकलित करते हुये महानिदेशालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
24. सांस्कृतिक विभाग द्वारा **Folk Troop** जनपदों में भेजे जा रहे हैं जिनके ठहरने की व्यवस्था जनपद स्तर से की जानी सुनिश्चित करें।
25. निर्देशित किया गया कि अभियान को पूर्ण मनोयोग से सम्पादित कराना सुनिश्चित करें। समस्त विभागों का सहयोग प्राप्त करें तथा संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय सुनिश्चित करें।

<u>आयुष्मान भारत अभियान–</u>

26. निर्देशित किया गया कि 07 जुलाई 2019 को प्रत्येक जनपद में आयुष्मान भारत अभियान के अन्तर्गत हैल्थ कैम्प का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें।
27. जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष्मान भारत अभियान के अन्तर्गत रोगियों के उपचार में वृद्धि करना सुनिश्चित करें तथा यह भी ध्यान रखें कि किसी भी दशा में रोगी को बिना कारण आई0पी0डी0 में भर्ती न किया जाये।

28. आयुष्मान भारत अभियान के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले प्लास्टिक हैल्थ कार्ड का एक अभियान चलाकर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शत–प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करायें।
29. मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अन्तर्गत राज्य स्तर से उपलब्ध कराये गये प्रारूप के आधार पर पत्रों को छपवाकर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरित करवाना सुनिश्चित करें।

<u>अन्य बिन्दु–</u>

30. नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्वास्थ्य मानकों के आधार पर उत्तर प्रदेश की स्थिति को न्यूनतम प्रदर्शित किया गया है जो कि अत्यन्त ही चिंताजनक है एवं कार्यों के प्रति उदासीनता परिलक्षित करता है। एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर गुणवत्तापूर्ण डाटा अपलोड कराये जाने के निर्देश दिये गये।
31. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विभिन्न पोर्टल पर डाटा इन्ट्री से पूर्व डाटा का वैलीडेशन किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ डाटा इन्ट्री से सम्बन्धित समस्त कर्मियों का उन्मुखीकरण कराया जाना सुनिश्चित करें।
32. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका मरीजों के साथ स्वयं अच्छा व्यवहार करें तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी अच्छा व्यवहार करने तथा मरीज की सहायता करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
33. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका को निर्देशित किया गया कि समस्त चिकित्सालयों में मरीजों हेतु उपलब्ध सुविधाओं/सेवाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

बैठक के अन्त में निर्देशित किया गया कि उक्त समस्त निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें।